न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 169/2013 | तारीख दायर 13-05-2013 | तारीख फैसला 09/05/2022

उनवान

01. असमीना पत्नि नन्नी खां
02. हाजरा पत्नि नन्हुल्ला खां (मृतक)
   2/1 तैयब
   2/2 रमजान पुत्रान नन्हुल जाति मेवान निवासी धीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
   2/3 आसीनी पुत्री नन्हुल पत्नि समद जाति मेव निवासी जलालपुर तहसील व जिला नूँह (हरि)

——: वादीगण

बनाम

01. रमा पत्नि श्री विपिन कुमार जाति महाजन निवासी टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर
02. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा टपूकड़ा
03. राजस्थान सरकार जरिये मुनीधारी अधिकारी तहसीलदार तिजारा
04. श्रीमान उप पंजीयक अधिकारी कार्यालय टपूकड़ा
05. मदरसा जामिया मौहम्मद हिदायत उलूम धीरियावास तहसील तिजारा
06. समसुदीन पुत्र यासिन जाति मेव अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जामिया मौहम्मदीया
07. आमीन पुत्र श्री याकूब सचिव जामिया मौहम्मदीया हिदायत उलूम धीरियावास तहसील तिजारा।

———: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :-

वादिया ने एक वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा न0 204 रकबा 0.7200 है0 किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम धीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) है। जो कि इस वाद में विवादित आराजी विवादित कहलायेगी। उक्त आराजी मिन वादियागन एवं प्रतिवादीगन संख्या 1 लगायत 7 की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की अबट आराजी है कि जिसमें मिन वादीयागन का 2/3 हिस्सा है। उक्त आराजी विवादित आराजी में वादियागण का 2/3 हिस्सा है एवं प्रतिवादीगन का 1/3 हिस्सा है जो शामलात में काबिज एवं दखिल होकर उपयोग-उपभोग कर रहे है तथा राजस्व रिकोर्डस में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी का अभी तक बटवारा नही हुआ है। तब तक प्रत्येक इन्च भू भाग पर प्रत्येक पक्षकार का पूर्ण हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण जबरदस्त लडाका एवं मुठमर्द किस्म के आदमी है जो वादी के शामलात कब्जे काश्त उपयोग में मजाहमत करते है और कब्जा कर विवादित आराजी में अनाधिकृत निर्माण करना चाहते है एवं वादी को जबरन बेदखल कर उक्त आराजी को रहन

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

… कासमा कराये कोई हक व अधिकार हासिल … शामलात में काश्त करना सम्भव नही है। इसलिए मिन … बाइ मीटस एण्ड बाउण्डस कराकर अलग से कुर्रेजात कायम करने व … कराने के हकदार है कि जिससे लिए दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है। … कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावें डिक्री इजराय तकायमा आराजी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि आराजी खसरा न0 204 रकबा 0.7200 हे0 किस्म बारानी सोयम वाके ग्राम धीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) है, में वादी का 2/3 हिस्से का तकासमा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी को अलग से दखल दिलाया जावे एवं वादी का अलग से लगान खाता कायम किया जाकर अलग से कुर्रेजात कायम कर वादी को अलग से दखल दिलाया जावें। जरिये हु0ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी से जबरन वादी को बेदखल ना करें, ना ही कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत पैदा करें, ना ही आराजी का कोई जुज किसी भी दीगर सख्त को रहन, बय, हिबा, लीज दत्यादि द्वारा मुनकिल करें, ना ही अनाधिकृत रूप से निर्माण करें। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथावत स्थिति कायम रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1, 2 व 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं इसलिए इनके खिलाफ दिनांक 17.06.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 पैराकार सरकार पक्षकार है राज्य हित प्रभावित नहीं होने के कारण जबाब नहीं लिया गया है प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पेश किया गया जो स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 7 की जद में जोडा गया। प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 7 द्वारा अपना जबाब दावा पेश किया गया। जबाब दावा में अंकित किया की इतना सही है कि विवादित आराजी ग्राम धीरीयावास में स्थित है वादियागण न बिना वजह ही आराजी को विवादित बताया है जबकि विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादिगण की शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है वास्तविकता यह है कि आराजी उक्त के 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार वादियागण है तथा 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण संख्या 5, 6 व 7 है जो अपनी आराजी पर काब्जि काश्त है आराजी मौके पर बटी हुई है तो शामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त करना कैसे मुमकिन नहीं हो सकता वादिया ने उक्त वाद विभाजन का प्रस्तुत किया है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है इसलिए वाद पत्र को मय हरजा खर्चा खारिज फरमाया जावे। उक्त वाद पत्र में दिनांक 06.12.2013 को वादियागण व प्रतिवादी संख्या 5, 6 व 7 की उपस्थिति में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिजारा को प्राथमिक डिक्री की प्रति के साथ अहकाम जारी किया गया एवं तहसीलदार तिजारा को आदेशित किया गया कि आप स्वयं मौके पर जकार विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर कुर्रेजात व लगान कायम कर शीघ्र ही इस कार्यालय को भिजवाये जाने के लिए लिखा गया। तहसीलदार तिजारा द्वारा दिनांक 17.12.2013 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जो संलग्न पत्रावली किया गया।

इस न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2013 को प्रतिवादीगण सं. 5, 6 व 7 द्वारा श्रीमान भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर के यहां अपील संख्या 96/13 दायर की गई। श्रीमान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

... गया एवं उभयपक्षकारान को पुनः ... निर्णय पारित करने के पत्रावली को इस निर्देश ... एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर के यहां से प्राप्त होने ... कायम की गई जो निम्न प्रकार है:-

. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 0.7200 हैक्टयर वाके ग्राम धीरीयावास तहसील तिजारा जिला अलवर के अपने 2/3 भाग का तकासमा कराकर कायमी कुर्रेजात खाता व लगान अलग अलग कराने के अधिकारी है।

02. आया वादीगण, प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। :- जिम्मे वादीगण

03. अनुतोष।

पत्रावली में पुनः उभयपक्षकारान को सुनकर प्राथमिक पुनः 25.05.2017 को प्राथमिक डिकि जारी की गई एवं तहसीलदार तिजारा को आदेशित किया गया कि आप स्वयं मौके पर जकार विवादित आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कर कुर्रेजात व लगान कायम कर शीघ्र ही इस कार्यालय को भिजवाये जाने के लिए पुनः लिखा गया। तहसीलदार तिजारा द्वारा दिनांक 31.05.2017 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जो संलग्न पत्रावली किया गया। उक्त प्राथमिक डिकी दिनांक 25.05.2017 की प्रतिवादीगण संख्या 5,6 व 7 ने पुनः श्रीमान भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर के यहां अपील संख्या 97/17 दायर की गई। श्रीमान भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 06.12.2017 में इस न्यायालय के प्राथमिक आदेश दिनांक 25.05.2017 को निरस्त किया गया एवं पत्रावली इस आदेश के साथ पुनः रिमाण्ड की गई कि उभयपक्षकारान को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करे।

श्रीमान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय अलवर से पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः नम्बर पर ली गई और वाद पत्र में उभयपक्षकारान की मौजूगी में साक्ष्य वादी में तैयब पुत्र मनफूल खॉ जाति मेव निवासी ग्राम धीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (पी.डब्ल्यू. 01), गन्नी खां पुत्र ईसमाईल खॉ जाति मेव निवासी ग्राम धीरियावास तहसील तिजारा (पी.डब्ल्यू. 02) एवं साक्ष्य प्रतिवादी समसूदीन पुत्र यासीन जाति मेव निवासी धीरियावास तहसील तिजारा (डी.डब्ल्यू. 01) कराये गये प्रतिवादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 27.02.2020 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर वास्ते बहस अंकित की गई।

प्रकरण में दिनांक 10-03-2022 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/5052 दिनांक 05-04-2022 के द्वारा प्रकरण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेपित कर दी थी। उभयपक्षकारान ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

...आराजी खसरा न0 204 रकबा 0.7200 है0
...जिला अलवर (राज0) को फरीकैन के अनुसार खाता

	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
	...समीना पत्नी गन्नी खां 1/2 हि0 तैयब रमजान पुत्रान व आसीनी पुत्री मनफूल जाति मेव सा0 देह खातेदार 1/2 हि0	204	0.48	बारानी 2	1.90
02.	रमा पत्नी विपिन कुमार जाति महाजन सा. टपूकडा खातेदार	204/1	0.24	बारानी 2	0.94

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0